



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1947 (श10)

(सं0 पटना 1806) पटना, मंगलवार, 23 दिसम्बर 2025

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर 2025

सं0 1/F1-11/2025 श्र०सं०/81—राज्य सरकार द्वारा वाष्पित्र अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बिहार वाष्पित्र नियमावली, 1936 एवं बिहार बॉयलर शास्त्रि न्यायनिर्णयन एवं अपील नियमावली, 2025 को निरस्त करते हुए प्रस्तावित निम्नलिखित मसौदा नियमों को, उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जो इससे प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। साथ ही, यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर बिहार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस दिनों की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार की आपत्तियां या सुझाव श्रम आयुक्त, बिहार, नियोजन भवन, तृतीय मंजिल, बी-ब्लॉक, बेली रोड, पटना-800001 को संबोधित किए जा सकते हैं या Email: lcbihar@bihar.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमावली

I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों को बिहार वाष्पित्र नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ – (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) “अधिनियम” से तात्पर्य वाष्पित्र अधिनियम, 2025 (2025 का 12); से है।
- (ख) “धारा” से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।
- (ग) “न्यायनिर्णायक पदाधिकारी” से अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारिता रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
- (घ) “अपीलीय प्राधिकार” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत, श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;

- (ड.) "मुख्य निरीक्षक" और "निरीक्षक" से क्रमशः अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक होने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) अपीकर्ता से अभिप्रेत है न्यायनिर्णायक पदाधिकारी" द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा 36 से उपधारा 1 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार से समक्ष अपील दाखिल किया है।
- (छ) "विनियम" से तात्पर्य धारा 40 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से है।
- (ज) "फॉर्म" से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म से है।
- (झ) "सरकार" से तात्पर्य बिहार सरकार से है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
- (ञ) "मुख्य निरीक्षक" और "निरीक्षक" से तात्पर्य क्रमशः ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक एवं निरीक्षक नियुक्त किया गया हो।
- (ट) "नियम" से तात्पर्य बिहार वाष्पित्र नियमावली, 2025 के नियमों से है।
- (ठ) "परिशिष्ट" से तात्पर्य विनियमों के परिशिष्ट 'एम' से है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया है।

II सामान्य

3. (I) फीस — अधिनियम के अन्तर्गत सभी फीस इलेक्ट्रॉनिकली जमा किये जा सकेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

(II) वसूली योग्य जुर्माना— धारा 32 की उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ सभी दंड, जुर्माना एवं शूलक वाष्पित्र कल्याण निधि में जमा किया जायगा। राशि का व्यय उस तरीके से किया जायगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विहित किया जाय।

4. वाष्पित्र के सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन—जिस मालिक को वाष्पित्र इस्तेमाल करने का सर्टिफिकेट चाहिए, उसे निरीक्षक को फॉर्म B; नंबर-1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, जिसमें वह तारीख लिखनी होगी जिस दिन वाष्पित्र निरीक्षण के लिए तैयार रखा जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन के साथ रूल 7 के सब-रूल (1) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फीस या सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए रेगुलेशन 385A में बताई गई फीस, जैसा भी मामला हो, लगानी होगी। फिर निरीक्षक यह पक्का करेगा कि रविवार या किसी दूसरी छुट्टी के दिन निरीक्षण के लिए रूल 7 के सब-रूल (6) में बताई गई फीस और अगर कोई एक्स्ट्रा फीस है, तो वह सब साथ में है, साथ ही निरीक्षक का ट्रैवल खर्च, अगर रूल 7 के सब-रूल (7) के तहत कोई है। 7 का पेमेंट किया गया है। अगर मालिक द्वारा एप्लीकेशन में बताई गई निरीक्षण की तारीख सही नहीं है, तो निरीक्षक वाष्पित्र निरीक्षण के लिए एप्लीकेशन मिलने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर एक तारीख तय करेगा और तय की गई तारीख तुरंत मालिक को बताएगा। सेक्शन 12 के सब-सेक्शन (1) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन के मामले में, निरीक्षक मालिक को तय की गई तारीख के बारे में फॉर्म 'C' में कम से कम दस दिन का नोटिस देगा।

5. निरीक्षण का समय — वाष्पित्र और वाष्पित्र के पार्ट्स के निरीक्षण का समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच होगा।

III- फीस

6. वाष्पित्र के लिए फीस का आधार— वाष्पित्र के रजिस्ट्रेशन और उसके सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए देय फीस, रेगुलेशन 384 में बताई गई वाष्पित्र रेटिंग के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी।

7. नीचे दी गई फीस देय हैं, जैसे:-

- (1) रजिस्ट्रेशन फीस:- एक्ट के सेक्शन 12 के सब-सेक्शन (2) के तहत वाष्पित्र के रजिस्ट्रेशन और पहले निरीक्षण के लिए एप्लीकेशन के साथ सरकार द्वारा तय की गई फीस इस तरह होगी:-

क्र०सं०	वाष्पित्र रेटिंग	फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1	रेगुलेशंस के विषय XIV के अनुसार छोटे इंडस्ट्रियल वाष्पित्र के लिए	2500
2	वाष्पित्र रेटिंग 10 से ज्यादा नहीं	3600
3	वाष्पित्र रेटिंग 10 से ज्यादा लेकिन 30 से ज्यादा नहीं	4800
4	वाष्पित्र रेटिंग 30 से ज्यादा लेकिन 50 से ज्यादा नहीं	5400
5	वाष्पित्र रेटिंग 50 से ज्यादा लेकिन 70 से ज्यादा नहीं	6600
6	वाष्पित्र रेटिंग 70 से ज्यादा लेकिन 90 से ज्यादा नहीं	7800
7	वाष्पित्र रेटिंग 90 से ज्यादा लेकिन 110 से ज्यादा नहीं	9000
8	वाष्पित्र रेटिंग 110 से ज्यादा लेकिन 200 से ज्यादा नहीं	10200
9	वाष्पित्र रेटिंग 200 से ज्यादा लेकिन 400 से ज्यादा नहीं	11400
10	वाष्पित्र रेटिंग 400 से ज्यादा लेकिन 600 से ज्यादा नहीं	13200
11	वाष्पित्र रेटिंग 600 से ज्यादा लेकिन 800 से ज्यादा नहीं	14400
12	वाष्पित्र रेटिंग 800 से ज्यादा लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं	16200
13	वाष्पित्र रेटिंग 1000 से ज्यादा लेकिन 1200 से ज्यादा नहीं	19200
14	वाष्पित्र रेटिंग के लिए 1200 से ज्यादा लेकिन 1400 से ज्यादा नहीं	21600
15	वाष्पित्र रेटिंग 1400 से ज्यादा लेकिन 1600 से ज्यादा नहीं	25200
16	वाष्पित्र रेटिंग 1600 से ज्यादा लेकिन 1800 से ज्यादा नहीं	27000
17	वाष्पित्र रेटिंग 1800 से ज्यादा लेकिन 2000 से ज्यादा नहीं	30000
18	वाष्पित्र रेटिंग 2000 से ज्यादा लेकिन 2200 से ज्यादा नहीं	32400
19	वाष्पित्र रेटिंग 2200 से ज्यादा लेकिन 2400 से ज्यादा नहीं	36000
20	वाष्पित्र रेटिंग 2400 से ज्यादा लेकिन 2600 से ज्यादा नहीं	37800
21	वाष्पित्र रेटिंग 2600 से ज्यादा लेकिन 2800 से ज्यादा नहीं	40800
22	वाष्पित्र रेटिंग 2800 से ज्यादा लेकिन 3000 से ज्यादा नहीं	43200

3000, से ज्यादा वाष्पित्र रेटिंग के लिए, हर 200 या उसके हिस्से के लिए 1200 रुपये की एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी।

बशर्ते की मुख्य निरीक्षक यह निर्देश दे सकते हैं कि एक्ट के सेक्शन 19 के सब-सेक्शन (2) के तहत किए जाने वाले नए आवेदन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। अलग-अलग फायर किए गए सुपरहीटर, रिहीटर और इकोनॉमिसर के लिए निरीक्षणफीस, रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर ही ली जाएगी।

फिन्ड ट्यूब वाले हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के लिए, फीस वाष्पित्र रेटिंग के लिए बेयर ट्यूब के हीटिंग सरफेस एरिया और फिन के हीटिंग सरफेस एरिया के एक चौथाई हिस्से को लेकर कैलकुलेट की जाएगी।

- (2) सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए फीस:- एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (3) के तहत वाष्पित्र के निरीक्षण और रिन्यू सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन के साथ जरूरी फीस रेगुलेशन 385A में बताई गई होगी।
- (3) ऊपर दी गई फीस का लागू होना:- सब-रूल (1) और सब-रूल (2) में बताई गई फीस में पूरी तरह से निरीक्षण, हाइड्रोलिक टेस्ट और स्टीम टेस्ट शामिल होंगे, जहाँ जरूरी हो और यह इकोनॉमिसर के लिए भी उसी रेट पर लागू होगा।

- (4) खराब वाष्पित्र के दोबारा निरीक्षण के लिए दूसरी फीस— रेगुलेशन 385A के मुताबिक, सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए दूसरी फीस, रिपेयर पूरा होने के बाद खराब वाष्पित्र के दोबारा निरीक्षण के लिए लगेगी।
 - (5) निरीक्षण के लिए तैयार न किए गए वाष्पित्र के लिए फीस कैंसल करना:— अगर निरीक्षक के विजिट के लिए तय तारीख पर वाष्पित्र निरीक्षण के लिए तैयार नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की फीस कैंसल कर दी जाएगी। ऐसे मामले में, मालिक को सेक्शन 19 के सब-सेक्शन (2) के नियमों के तहत नई फीस देनी होगी।
 - (6) रविवार और छुट्टी के दिन निरीक्षण के लिए एक्स्ट्रा फीस:— नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (26 का 1881) के तहत रविवार और पब्लिक हॉलिडे के दिन निरीक्षण के लिए, मालिक के कहने पर, लागू फीस के आधे के बराबर एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। सरकार के खाते में जमा की गई आधी रकम बाद में निकाली जाएगी और उस निरीक्षक को दी जाएगी जिसने इस रकम के लिए क्लेम किया है।
 - (7) कुछ मामलों में निरीक्षक के ट्रैवलिंग खर्च का पेमेंट:— अगर मालिक को ऐसे समय पर निरीक्षण की जरूरत होती है जिसके लिए निरीक्षक को खास यात्रा करनी पड़े, तो ट्रैवलिंग अलाउंस रूलस के हिसाब से तय निरीक्षक और उसके अटेंडेंट स्टाफ का ट्रैवलिंग खर्च, अगर कोई हो, मालिक को इस नियम में बताई गई किसी भी फीस के अलावा देना होगा। बशर्ते कि यदि दो या अधिक मालिक ऐसे निरीक्षणों के लिए आवेदन करते हैं जो एक ही यात्रा के दौरान किए जाने हैं, तो इस उप-नियम में निर्दिष्ट यात्रा व्यय ऐसे मालिकों से ऐसे अनुपात में वसूल किए जाएंगे जैसा कि मुख्य निरीक्षक निर्धारित कर सकते हैं।
 - (8) वाष्पित्र के उपयोग के लिए प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए शुल्क:— धारा 12 या धारा 13 के तहत दिए गए वाष्पित्र के उपयोग के लिए लागू प्रमाण पत्र की एक दूसरी प्रति, मालिक से आवेदन करने और प्रति केवल 500 रुपये की फीस पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा जारी की जाएगी यदि वह संतुष्ट है कि दूसरी प्रति वास्तविक उद्देश्य के लिए आवश्यक है।
 - (9) पंजीकरण पुस्तिका की प्रति के लिए शुल्क:— किसी स्थापित वाष्पित्र की पंजीकरण पुस्तिका की एक प्रति, आवेदन करने और वर्तमान मालिक से प्रति केवल 2000 रुपये की फीस पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा ऐसे मालिक को प्रदान की जाएगी।
8. वाष्पित्र और वाष्पित्र घटकों के निर्माण के दौरान निरीक्षण के लिए शुल्क, अर्थात:—
- (1) शॉप में बने या बनने की जगह पर असेंबल किए गए वाष्पित्र के लिए निरीक्षण फीस, रेगुलेशन 385A में बताई गई फीस से चार गुना ज्यादा होगी।
 - (2) ट्यूब और पाइप:— ट्यूब और पाइप के लिए निरीक्षण फीस, रेगुलेशन 395A के सब-रेगुलेशन (2) में बताई गई दर पर होगी।
 - (3) पाइपलाइन:— साइट पर लगाई गई सभी फिटिंग सहित पाइप के लिए निरीक्षण फीस, रेगुलेशन 395B के सब-रेगुलेशन (2) में बताई गई दर पर होगी।
 - (4) फोर्ज्ड पाइप फिटिंग:— फोर्ज्ड पाइप फिटिंग के लिए निरीक्षण फीस, रेगुलेशन 395C के सब-रेगुलेशन (2) के क्लॉज (i) के तहत फोर्ज्ड और कास्ट फ्लैंज के लिए बताई गई दर के बराबर होगी।
 - (5) फोर्ज्ड पाइप फिटिंग के अलावा:— फोर्ज्ड पाइप फिटिंग के अलावा दूसरी पाइप फिटिंग के लिए निरीक्षण फीस, रेगुलेशन 395C के सब-रेगुलेशन (2) के क्लॉज (i) के तहत फोर्ज्ड और कास्ट फ्लैंज के लिए बताई गई दर से दोगुनी होगी।
 - (6) फ्लैंज:— फ्लैंज के लिए निरीक्षण फीस रेगुलेशन 395C के सब-रेगुलेशन (2) में बताई गई दर पर होगी।
 - (7) बेंड्स:— पाइप और ट्यूब बेंड्स के लिए निरीक्षण फीस रेगुलेशन 395A के सब-रेगुलेशन (6) में बताई गई दर पर होगी।
 - (8) वाल्व:— वाल्व के लिए निरीक्षण फीस रेगुलेशन 395C के सब-रेगुलेशन (1) में बताई गई दर पर होगी और वाल्व के कंपोनेंट्स के लिए रेगुलेशन 395D में बताई गई दर पर होगी।
 - (9) फीड वॉटर हीटर और अन्य फिटिंग्स:— फीड वॉटर हीटर और अन्य फिटिंग्स जैसे कि डी-सुपर-हीटर, स्टीम रिसीवर, स्टीम सेपरेटर, कैच वॉटर, एक्ज्युमुलेटर और अलग से फायर किए गए सुपरहीटर के लिए निरीक्षण शुल्क विनियमन 395E द्वारा निर्दिष्ट दर पर होगा।
 - (10) वाष्पित्र घटकों के अतिरिक्त पुर्जे:— कॉइल के रूप में वाष्पित्र घटकों के अतिरिक्त पुर्जों के लिए निरीक्षण शुल्क उनकी व्यक्तिगत रेटिंग के आधार पर होगा और विनियमन 385A द्वारा निर्दिष्ट अनुसार लिया जाएगा।

9. ड्रॉइंग्स के अप्रूवल के लिए फीस, जैसे:-

- (1) वाष्पित्रों की मैनुफैक्चरिंग ड्रॉइंग्स:- रेगुलेशन 393 के क्लॉज (d) के अनुसार, बॉयलर्स और वाष्पित्र कंपोनेंट्स, जिसमें स्पेयर्स भी शामिल हैं, की मैनुफैक्चरिंग ड्रॉइंग्स की स्क्रूटनी और अप्रूवल के लिए फीस, रेगुलेशन 385A में बताए गए स्केल पर होगी।
- (2) स्टीम पाइप्स के प्लान्स:- माउंटिंग और फिटिंग्स सहित स्टीम पाइप्स के प्लान्स की जांच और अप्रूवल के लिए फीस, रेगुलेशन 395 के क्लॉज (b) में बताए गए रेट पर ली जाएगी।
- (3) फीड पाइप्स और फिटिंग्स के प्लान्स:- फीड वॉटर हीटर जैसे फीड पाइप्स और फिटिंग्स के प्लान्स की स्क्रूटनी और अप्रूवल के लिए फीस, रेगुलेशन 534B में बताए गए रेट पर ली जाएगी।

10. वाष्पित्र रिपेयर के लिए फीस:- फर्म को वाष्पित्र रिपेयर या इरेक्टर के तौर पर मान्यता देने, उसके रिन्यूअल और एंडोर्समेंट के लिए फीस रेगुलेशन 392 के सब-रेगुलेशन (2) के अनुसार ली जाएगी।

11. वाष्पित्र अटेंडेंट और वाष्पित्र ऑपरेशन इंजीनियर के लिए परीक्षा की फीस:- वाष्पित्र अटेंडेंट के तौर पर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और वाष्पित्र ऑपरेशन इंजीनियर के तौर पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के लिए परीक्षा फीस, वाष्पित्र अटेंडेंट रूल्स, 2011 और वाष्पित्र ऑपरेशन इंजीनियर्स रूल्स, 2021 के संबंधित नियमों के अनुसार होगी, जो केंद्र सरकार ने एक्ट के तहत बनाए हैं।

12. वेल्डर के लिए फीस और पेनल्टी, यानी:-

- (1) एग्जामिनेशन फीस:- वेल्डर के एग्जामिनेशन की फीस रेगुलेशन 616 के सब-रेगुलेशन (2) में बताई गई होगी।
- (2) एंडोर्समेंट फीस:- वेल्डर के सर्टिफिकेट के एंडोर्समेंट की फीस रेगुलेशन 616 के क्लॉज (ii) में बताई गई होगी।
- (3) डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की फीस:- वेल्डर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने की फीस रेगुलेशन 605A के क्लॉज (ii) में बताई गई होगी।
- (4) रेगुलेशन के उल्लंघन पर पेनल्टी:- जो एम्प्लॉयर रेगुलेशन के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को वाष्पित्र या स्टीम-पाइप वेल्डिंग में लगाता है, उसे रेगुलेशन 617 के सब-रेगुलेशन (1) में बताए गए जुर्माने से सजा होगी।
- (5) वेल्डर के रिकॉर्ड मेंटेन न करने पर पेनल्टी:- वेल्डर या उसका एम्प्लॉयर जो रेगुलेशन 615 के तहत जरूरी रिकॉर्ड मेंटेन न कर पाए, उसे रेगुलेशन 617 में बताए गए जुर्माने से सजा होगी।

IV- मुख्य निरीक्षक की शक्ति और कर्तव्य

13. जनरल कंट्रोल:- मुख्य निरीक्षक को एक्ट के तहत निरीक्षक की सभी शक्तियां और कार्य दी जाएंगी। उसका मुख्य कार्य निरीक्षकों के कार्य की देख-रेख और नियंत्रण करना होगा। वह ऐसे मामलों में सर्टिफिकेशन के लिए वाष्पित्र और वाष्पित्र कंपोनेंट्स का निरीक्षण या जांच करेगा, जब वह खुद ऐसा करना जरूरी समझे।

14. खास ड्यूटी:- मुख्य निरीक्षक-

- (क) सेक्शन 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड के मेंबर के तौर पर राज्य को रिप्रेजेंट करेगा।
- (ख) सेक्शन 2 के तहत इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा और रेगुलेशन 4H के अनुसार उसी सेक्शन के तहत एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पर भी काम कर सकता है।
- (ग) नियमों और रेगुलेशन में प्रस्तावित बदलाव पर केंद्र सरकार को कमेंट/सुझाव देगा;
- (घ) राज्य के वाष्पित्र इंस्पेक्टोरेट को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ तालमेल बिठाने के लिए सुविधाओं से अच्छी तरह से इक्विप्ड बनाने के लिए सरकार को प्रपोजल देगा।
- (ङ) सेक्शन 39 के तहत बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधित नियमों के अनुसार, राज्य में एग्जामिनर्स की कमिटी और एग्जामिनर्स बोर्ड के एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करना, ताकि क्रमशः प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट देने के लिए एग्जाम कराए जा सकें।
- (च) निरीक्षकों के लिए इन-हाउस और फील्ड-ट्रेनिंग का इंतजाम करना।
- (छ) उन मामलों पर फैसला लेने के लिए अपनी मर्जी के अधिकार रखना जो रेगुलेशन के तहत बताए नहीं गए हैं और जिनकी जरूरत नहीं है।
- (ज) मुख्य निरीक्षक और इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी, अप्रूवल, एंडोर्समेंट, रिन्यूअल, विटनेसिंग टेस्ट वगैरह के सभी काम करना, जो रेगुलेशन के तहत सही तरीके से सर्टिफिकेट देने के मकसद से बताए गए हैं।

15. रूटीन काम:- मुख्य निरीक्षक का-

- (क) सभी नए रजिस्टर्ड वाष्पित्रों की रजिस्ट्रेशन बुक को खुद चेक करना होगा ताकि शुरुआती मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर की मंजूरी मिल सके और सेक्शन 12 के तहत जरूरी सभी ऑर्डर अपने साइन से दर्ज करवाना होगा।
- (ख) रजिस्ट्रेशन बुक में बाद में जरूरी एंट्री अपने साइन से दर्ज करवाना होगा।

- (ग) ऐसे वाष्पित्र के लिए मेमोरेंडम ऑफ निरीक्षण और रजिस्ट्रेशन बुक लेना होगा जो किसी दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में रजिस्टर्ड है और जिसके बाद इस राज्य में ट्रांसफर की रिपोर्ट सेक्शन 11 के सब-सेक्शन (1) के क्लॉज (b) के तहत की गई है (रेगुलेशन 388 देखें)।
- (घ) मालिकों की सुविधा और अर्जेंसी का पूरा ध्यान रखते हुए अपने सबऑर्डिनेट सभी निरीक्षकों के निरीक्षण प्रोग्राम को मंजूरी देना होगा।
- (ङ) हर निरीक्षण के बाद, फॉर्म B- नंबर 2 पर दर्ज निरीक्षक के निरीक्षण नोट्स की जांच करना और उन पर काउंटर साइन करना होगा।
- (च) उस मामले में ऑर्डर पास करना जिसमें निरीक्षक बताता है कि वाष्पित्र या वाष्पित्र के पार्ट्स, या दोनों सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (5) के क्लॉज (b) के प्रोविजन के तहत रेगुलेशंस द्वारा बताए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हैं।
- (छ) निरीक्षक की रिपोर्ट पर या सेक्शन 16 के प्रोविजन के तहत किसी सर्टिफिकेट या प्रोविजनल ऑर्डर को रद्द करने के लिए ऑर्डर पास करना।
- (ज) सेक्शन 17 के प्रोविजन के तहत एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किसी भी वाष्पित्र में या उसके लिए स्ट्रक्चरल बदलाव और रिन्यूअल के लिए लिखित में ऑथराइजेशन देना और सेक्शन 18 के प्रोविजन के तहत मालिक के इरादे की लिखित रिपोर्ट मिलने पर वाष्पित्र से जुड़े किसी भी स्टीम-पाइप या दूसरे वाष्पित्र पार्ट्स के लिए।
- (झ) उन सभी मामलों में ऑर्डर पास करना जिनमें यह बताया जाता है कि वाष्पित्र या वाष्पित्र के पार्ट्स या दोनों सेक्शन 19 के सब-सेक्शन (2) के प्रोविजन के तहत तय तारीख पर ठीक से तैयार और जांच के लिए तैयार नहीं थे।
- (ञ) सेक्शन 24 के प्रोविजन के तहत निरीक्षक के ऑर्डर के खिलाफ सभी अपीलों पर फैसला करना।
- (ट) सेक्शन 33 के तहत केस चलाने की मंजूरी देना।
- (ठ) वाष्पित्र या वाष्पित्र के पार्ट्स में हुए गंभीर एक्सीडेंट की जांच करना, जिससे किसी की मौत हुई हो और सेक्शन 39 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वाष्पित्र एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2021 के रूल 4 के अनुसार टेक्निकल एडवाइजर को शुरुआती जांच रिपोर्ट भेजना।
- (ड) एक्सीडेंट में हुई किसी मौत की जांच पूरी होने के बाद वाष्पित्र के इस्तेमाल का फैसला करना।
16. समय-समय पर होने वाले काम:- मुख्य निरीक्षक को
- (क) कैलेंडर साल में कम से कम एक बार अपने ऑफिस और जगह और अपने नीचे काम करने वाले सभी निरीक्षकों के ऑफिस का निरीक्षण करना होगा।
- (ख) अगले साल के जुलाई महीने में संबंधित फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्ट के काम करने की सालाना रिपोर्ट तैयार करके सरकार को जमा करनी होगी।
- (ग) संबंधित फाइनेंशियल ईयर के दौरान जुलाई महीने में एक्ट के मकसद को पूरा करने के लिए बजट एस्टीमेट तैयार करके सरकार को जमा करनी होगी।
- (घ) पिछले साल के समय के लिए अपने ऑफिस में काम करने वाले हर कर्मचारी के साथ-साथ सर्कल ऑफिस के सभी निरीक्षकों का कैरेक्टर रोल तैयार करना होगा।
- (ङ) चालू कैलेंडर साल में कम से कम हर तिमाही में काम के घंटों के दौरान किसी भी समय सभी सर्कल ऑफिस का सरप्राइज विजिट करना होगा।
- (च) अब तक किए गए सभी निरीक्षकों के काम का रिव्यू करने के लिए अपने ऑफिस में हर तिमाही में उनकी मीटिंग बुलानी होगी।
17. मालिकों को सलाह:- मुख्य निरीक्षक मालिकों को वाष्पित्र और वाष्पित्र के पार्ट्स के मेंटेनेंस, काम करने, सफाई और सेप्टी के बारे में सलाह दे सकता है।
18. रखे जाने वाला रजिस्टर:- मुख्य निरीक्षक अपने ऑफिस में ये रखेंगे-
- (क) राज्य में रजिस्टर्ड सभी बॉयलर्स का फॉर्म A में एक रजिस्टर या जिनकी रजिस्ट्री दूसरे राज्य से ट्रांसफर की गई है।
- (ख) रजिस्टर के फॉर्म A में दर्ज सभी बॉयलर्स की रजिस्ट्रेशन बुक।
- (ग) सेक्शन 24 के तहत फाइल की गई अपीलों का एक रजिस्टर।
- (घ) सेक्शन 23 के तहत हुए एक्सीडेंट्स का एक रजिस्टर।
- (ङ) दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए गए बॉयलर्स का एक रजिस्टर।
19. बिलों का कंट्रोल:- मुख्य निरीक्षक अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों के सभी कंटिजेंट बिलों और ट्रेवलिंग अलाउंस बिलों का कंट्रोलिंग या काउंटरसाइनिंग अथॉरिटी होगा।

V- निरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य

20. मुख्य निरीक्षक के अधीन:- निरीक्षक अधिनियम के तहत या उसके अनुसार शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सीधे मुख्य निरीक्षक के अधीन और उनके नियंत्रण में होंगे।

21. निरीक्षकों के सामान्य कर्तव्य:- अधिनियम में बताए गए निरीक्षकों के मुख्य कर्तव्य वाष्पित्र और वाष्पित्र घटकों का निरीक्षण और जांच करना होगा। निरीक्षण विनियमों के अध्याय IX और इन नियमों के भाग VIII और IX के अनुसार सख्ती से किए जाएंगे।

22. निरीक्षण के प्रकार:- वाष्पित्र के दो प्रकार के निरीक्षण होंगे:-

(क) जब धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत किसी भी मामले में वाष्पित्र के उपयोग को अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र लागू नहीं रहता है या धारा 16 के तहत रद्द कर दिया गया है और मालिक इसे नवीनीकृत करवाना चाहता है, तो एक निरीक्षक द्वारा अंदर और बाहर की पूरी जांच की जाएगी, जिसके लिए वाष्पित्र को विनियम 376 और 378 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

(ख) धारा 16 के तहत यह पता लगाने के लिए कि कोई प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, एक निरीक्षक द्वारा किसी भी समय एक सामान्य निरीक्षण किया जा सकता है।

23. विशिष्ट कर्तव्य:- निरीक्षक-

(क) धारा 12 या 13 के तहत पंजीकरण या निरीक्षण के लिए आवेदन और धारा 23 के तहत दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

(ख) आम तौर पर मालिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण का एक कार्यक्रम तैयार करेगा और कार्यक्रम में तय की गई पहली तारीख से कम से कम पांच दिन पहले अनुमोदन के लिए मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। धारा 12 के तहत वाष्पित्र के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले मालिक को इस प्रकार तय की गई तारीख की फॉर्म C में कम से कम दस दिन पहले सूचना दी जाएगी।

(ग) मुख्य निरीक्षक के आदेशों के लिए प्रस्तुत करेगा-

(i) धारा 12 के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तावित सभी वाष्पित्रों के निरीक्षण और पंजीकरण पुस्तकों का ज्ञापन, निरीक्षण की रिपोर्ट और उप-धारा (1) के तहत दस्तावेजों के साथ निरीक्षण की तारीख के सात दिनों के भीतर

(ii) धारा 13 या 17 के तहत निरीक्षण के बाद वाष्पित्र और उससे जुड़े वाष्पित्र घटकों की आवश्यक मरम्मत और वाष्पित्र में संरचनात्मक परिवर्तन या नवीनीकरण के प्रस्ताव।

(iii) धारा 13 या 16 के तहत प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने से इनकार करने या उसे रद्द करने या अंतिम आदेश के प्रस्ताव

(iv) रिपोर्ट करें जब सेक्शन 19 के तहत वाष्पित्र को निरीक्षण के लिए ठीक से तैयार नहीं किया गया हो।

(v) एक्ट और सरकार के संबंधित नियमों के तहत मुकदमा चलाने का प्रस्ताव।

(घ) वाष्पित्र या वाष्पित्र के हिस्सों में हुई दुर्घटनाओं की जांच करना और मुख्य निरीक्षक को रिपोर्ट करना।

(ङ) निरीक्षण के समय पता चले बिना रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं के मामलों की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को देना।

(च) अपने ऑफिस में अपने चार्ज में हर वाष्पित्र के लिए एक निरीक्षण मेमोरेण्डम बुक रखना, जिसमें हर निरीक्षण पर उनके नोट्स और वाष्पित्र के इतिहास को प्रभावित करने वाली कोई भी अन्य जानकारी स्याही से दर्ज की जाएगी। ऐसे नोट्स फॉर्म B: नंबर 2 पर दिए गए रिमार्क्स की जगह पर दर्ज किए जाएंगे।

(छ) मुख्य निरीक्षक को अगले महीने के पहले हफ्ते में मासिक रूप से जमा करने के लिए एक डायरी रखना, जिसमें देखी गई जगहों, रजिस्टर्ड या इंस्पेक्ट किए गए वाष्पित्र, अप्रूव्ड प्रोग्राम से बदलाव, और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई जाएगी

(ज) महीने की दूर एक्टिविटी रिपोर्ट फॉर्म 'D' में मुख्य निरीक्षक को जमा करना।

24. समय-समय पर किए जाने वाले कर्तव्य:- निरीक्षक निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(क) नियम 16 के क्लॉज (f) के तहत मुख्य निरीक्षक द्वारा या निर्देशानुसार उच्च अधिकारी द्वारा बुलाई गई सभी निरीक्षकों की तिमाही बैठक में शामिल होना।

(ख) अपने कार्यालय में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की पिछले वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्र रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को भेजना।

25. बिना सर्टिफिकेट वाले वाष्पित्र की खोज:- वाष्पित्र के निरीक्षण और जांच के अलावा, निरीक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में बिना रजिस्टर्ड या बिना सर्टिफिकेट वाले वाष्पित्र की खोज करें, और यह देखें कि सर्टिफिकेट वाले वाष्पित्र उनके सर्टिफिकेट की शर्तों और नियमों के अनुसार और सुरक्षित संचालन के लिए अधिनियम के तहत किसी भी नियम या विनियम के अनुसार चलाए जा रहे हैं।

26. निरीक्षक मालिकों को सलाह देंगे:- निरीक्षण के समय, निरीक्षक मालिकों और वाष्पित्र के प्रभारी व्यक्ति को वाष्पित्र के प्रबंधन और रख-रखाव के बारे में सलाह दे सकते हैं, जिसमें इस्तेमाल किए गए पानी और ईंधन की गुणवत्ता को देखते हुए आवश्यक सफाई की मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

27. निरीक्षक की घोषणा:- जब अधिनियम के तहत कोई निरीक्षण पूरा हो जाता है, तो उसे करने वाला निरीक्षक फॉर्म B, नंबर 2 में एक घोषणा तैयार करेगा, जिसमें अधिकतम कार्य दबाव की सीमा $\text{Kg/cm}^2(\text{G})$ में, जिस अवधि के लिए सर्टिफिकेट दिया जाना है और टिप्पणियां स्पष्ट रूप से नोट की जाएंगी।

28. सर्टिफिकेट देना:- नियम 27 के तहत घोषणा के बाद, निरीक्षक विनियम 389 द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म VI में एक सर्टिफिकेट तैयार करेगा, ऐसा सर्टिफिकेट निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रेशन के मामले में मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के बाद, विनियमों के परिशिष्ट M में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निरीक्षण किए गए वाष्पित्र के मालिक को ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

VI- दुर्घटना

29. दुर्घटना की जांच:- धारा 23 के तहत वाष्पित्र या वाष्पित्र के पुर्जों की दुर्घटना की रिपोर्ट मिलने पर, निरीक्षक बिना किसी देरी के दुर्घटना की जांच करने के लिए उस जगह जाएगा। यदि रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक या सरकार के किसी उच्च अधिकारी को मिलती है, तो वह उसे तुरंत उस निरीक्षक को भेज देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

30. जांच के दौरान प्रक्रिया - निरीक्षक अपनी जांच में क्षतिग्रस्त हिस्सों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा, और अपने रिपोर्ट के उद्देश्य से ऐसे माप लेगा और ऐसे स्केच बनाएगा या अपने मोबाइल सेट में ऐसे स्कैनशॉट लेगा, जैसा वह आवश्यक समझे। वह दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा और उसके होने का समय, उसकी प्रकृति और सीमा, व्यक्तियों को हुई चोट और संपत्ति को हुए नुकसान को नोट करेगा।

31. लिखित में जांच करने की शक्ति - निरीक्षक गवाहों और दुर्घटना से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिखित बयान लेगा। धारा 23 की उप-धारा (3) के प्रावधानों का पालन करने के लिए, निरीक्षक वाष्पित्र के मालिक या प्रभारी व्यक्ति को उन सभी बिंदुओं पर लिखित प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करेगा जो जांच के लिए महत्वपूर्ण लगते हैं।

32. जांच रिपोर्ट मिलने पर और किसी भी मौत वाली दुर्घटना के मामले में प्रक्रिया - निरीक्षक बिना किसी देरी के मुख्य निरीक्षक को रिपोर्ट भेजेगा, जो, यदि वह मानता है कि जांच पर्याप्त हो गई है, तो तथ्यों को अपने दुर्घटनाओं के रजिस्टर में दर्ज करेगा और निरीक्षण ज्ञापन पुस्तक और पंजीकरण पुस्तक में दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगा। लेकिन किसी भी मौत वाली दुर्घटना के मामले में, मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक की रिपोर्ट मिलने पर, व्यक्तिगत रूप से दुर्घटना की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा और केंद्र सरकार के वाष्पित्र दुर्घटना नियम, 2021 के नियम 4 के अनुसार तकनीकी सलाहकार को एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भेजेगा।

33. दुर्घटना के बाद वाष्पित्र का उपयोग - मुख्य निरीक्षक यह तय करेगा कि वाष्पित्र या वाष्पित्र के पुर्जों का उपयोग उसी या शुरुआती अनुमति से कम दबाव पर बिना मरम्मत के या किसी भी मरम्मत या बदलाव के पूरा होने तक, जिसका वह आदेश दे सकता है, अनुमति दी जा सकती है या उन्हें मरम्मत से परे घोषित किया जा सकता है और आगे उपयोग से हटा दिया जा सकता है। निरीक्षक, किसी भी मामले में, इस मामले में मुख्य निरीक्षक के आदेश के बिना कोई अंतिम आदेश या नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।

34. वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख:- सभी दुर्घटनाओं और उनके कारणों का संक्षिप्त विवरण अधिनियम के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

35. रिपोर्ट न की गई दुर्घटनाएं:- यदि निरीक्षण के दौरान या किसी अन्य समय, निरीक्षक को कोई ऐसा नुकसान मिलता है जो दुर्घटना की परिभाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन जिसकी रिपोर्ट नहीं की गई है, तो वह तुरंत धारा 27 के खंड (iv) के तहत कार्रवाई के लिए मुख्य निरीक्षक को तथ्यों की रिपोर्ट करेगा।

VII- मुख्य निरीक्षक से अपील

36. अपील दायर करना - सेक्शन 24 के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा हर अपील लिखित में हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी और उस आदेश या इनकार के बारे में उसे सूचना मिलने के तीस दिनों के अंदर मुख्य निरीक्षक को पेश की जाएगी, जिसके खिलाफ अपील की गई है।

37. अपील पेश करना - अपील मुख्य निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से पेश की जा सकती है।

38. अपील का फॉर्म - अपील के साथ मूल आदेश या इनकार जिसकी अपील की गई है या उसकी सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए या जहां ऐसा कोई मूल आदेश या इनकार लिखित में नहीं किया गया है, वहां अपील किए गए तथ्यों का स्पष्ट बयान, अपील के आधार और अधिनियम का संबंधित सेक्शन होना चाहिए।

39. सुनवाई के लिए तारीख तय करना - अपील मिलने पर, मुख्य निरीक्षक अपील मिलने की तारीख से तीस दिनों के अंदर अपील की सुनवाई और उसके निपटारे के लिए एक तारीख तय करेगा।

40. सुनवाई की प्रक्रिया –

- (1) जब सुनवाई के लिए तारीख तय हो जाती है, तो मुख्य निरीक्षक अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें सुनवाई के लिए तय तारीख बताई जाएगी और उसे सूचित किया जाएगा कि यदि वह अपील के समर्थन में सुना जाना चाहता है या सबूत पेश करना चाहता है, तो उसे अपील याचिका पर अपने सबूतों के साथ व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित होना होगा।
- (2) यदि वास्तविक कारणों से अपीलकर्ता तय तारीख पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित नहीं हो पाता है और सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करता है, तो वह इसकी सूचना लिखित में मुख्य निरीक्षक को देगा, जो यदि सुनवाई स्थगित करने के कारणों से संतुष्ट होता है तो सुनवाई की दूसरी तारीख तय कर सकता है।

41. निरीक्षक की उपस्थिति – सभी अपीलों में मुख्य निरीक्षक यह तय करेगा कि निरीक्षक की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं और तदनुसार निर्देश जारी करेगा।

42. गवाह की उपस्थिति – सभी अपीलों में मुख्य निरीक्षक यह तय करेगा कि किसी गवाह की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं और तदनुसार निर्देश जारी करेगा।

43. एकतरफा फैसला – यदि अपीलकर्ता तय तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में अपील पर फैसला किया जा सकता है।

44. अपील पर दिए गए प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक शुल्क – अपील पर कोई भी आदेश जो प्रमाणपत्र देने या नवीनीकरण को अधिकृत करता है, उसे नियमों द्वारा निर्धारित या अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट लागू शुल्क के भुगतान के अधीन माना जाएगा।

VIII- रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासनिक निर्देश

45. रजिस्ट्रेशन का महत्व – निरीक्षक रेगुलेशन के उध्याय IX में दिए गए वाष्पित्र के रजिस्ट्रेशन के लिए तकनीकी निर्देशों का पालन बहुत सावधानी और सटीकता से करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय पार्स के माप का विवरण वाष्पित्र के लिए एक स्थायी रिकॉर्ड होता है, जिससे अधिकतम वर्किंग प्रेशर तय किया जाता है जिस पर वाष्पित्र को काम करने की अनुमति है।

46. आवेदन और शुल्क – सेक्शन 12 के सब-सेक्शन (1) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म B: नंबर 1 में ऑनलाइन आवेदन निरीक्षक के एरिया के निरीक्षक को नियम 4 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। यदि शुल्क कम पाया जाता है, तो किसी भी वाष्पित्र का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि कमी पूरी न हो जाए।

47. रजिस्टर्ड वाष्पित्र का रजिस्टर – मुख्य निरीक्षक फॉर्म A में दो भागों में क्रम संख्या में रजिस्टर्ड वाष्पित्र का एक रजिस्टर बनाए रखेंगे। भाग I (राज्य में मूल रूप से रजिस्टर्ड वाष्पित्र) में एक वाष्पित्र का रजिस्ट्री नंबर रजिस्टर में अंतिम क्रम संख्या के ठीक बाद वाला होगा। वाष्पित्र के टूटने या दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने के कारण खाली नंबर भरे नहीं जाएंगे। भाग II (मूल रूप से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड और इस राज्य में ट्रांसफर किए गए वाष्पित्र) में प्रविष्टियां नियम 49 में बताए अनुसार की जाएंगी।

48. एक राज्य से दूसरे राज्य में वाष्पित्र के ट्रांसफर पर प्रक्रिया – जब भी कोई वाष्पित्र एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है, तो मालिक सेक्शन 11 के सब-क्लॉज (1) के क्लॉज (b) के तहत, उस राज्य के मुख्य निरीक्षक को इसकी रिपोर्ट करेगा जहां वाष्पित्र ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद मुख्य निरीक्षक रेगुलेशन 388 के तहत अनुरोध पर उस राज्य से वाष्पित्र की रजिस्ट्रेशन बुक और निरीक्षण बुक प्राप्त करेंगे और किताबों में ट्रांसफर पर अपनी टिप्पणी दर्ज करेंगे और इस बारे में मालिक को सूचित करेंगे। वाष्पित्र का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो जाता और जब तक मालिक के पास वाष्पित्र के उपयोग को अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश न हो।

49. एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए गए वाष्पित्र के रजिस्टर में एंट्री – रजिस्ट्रेशन बुक और निरीक्षण मेमोरेंडम बुक मिलने पर, मुख्य निरीक्षक वाष्पित्र का ओरिजिनल रजिस्ट्री नंबर अपने रजिस्टर के पार्ट II में दर्ज करेगा और किताबें नियम 18 के क्लॉज (a) और नियम 23 के क्लॉज (7) के अनुसार होंगी।

50. दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए गए और तोड़े गए वाष्पित्र का नोट – जब भी कोई वाष्पित्र दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है या तोड़ा जाता है, तो इस बात को नियम 47 के तहत दिए गए फॉर्म 'A' में रजिस्टर के पार्ट I में नोट किया जाएगा।

51. राज्य के अंदर वाष्पित्र के ट्रांसफर की प्रक्रिया – जब भी कोई वाष्पित्र राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो वर्तमान मालिक सेक्शन 12 के सब-सेक्शन (9) के तहत मुख्य निरीक्षक को ट्रांसफर करने के अनुरोध के साथ रिपोर्ट करेगा। इसके बाद मुख्य निरीक्षक तुरंत संबंधित निरीक्षक को नियम 15 के क्लॉज (a) या (c) के तहत अपने ऑफिस में रखी रजिस्ट्रेशन बुक भेजेगा और निर्देश देगा कि वह देखे और वेरिफाई करे कि ट्रांसफर की गई जगह पर वाष्पित्र का रजिस्ट्री नंबर, टाइप और बाहरी मुख्य आयाम बुक के अनुसार ही हैं। निरीक्षक निर्देश मिलने की तारीख से सात दिनों के अंदर बुक के साथ मुख्य निरीक्षक को एक रिपोर्ट भेजेगा। यदि मुख्य निरीक्षक वाष्पित्र के असली होने की रिपोर्ट से संतुष्ट है और नियम 47 के तहत रजिस्टर में उसके टूटने या

स्थायी रूप से तोड़े जाने जैसा कुछ भी नोट नहीं किया गया है और पिछली जगह के मालिक से कोई आपत्ति नहीं मिली है, तो वह किताबों में ट्रांसफर पर अपनी टिप्पणी दर्ज करेगा और इसे वर्तमान मालिक को बताएगा। वाष्पित्र का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो जाता और जब तक मालिक के पास वाष्पित्र के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल ऑर्डर नहीं होता।

IX- निरीक्षण के लिए प्रशासनिक निर्देश

52. पिछले निरीक्षण का संदर्भ – निरीक्षक रेगुलेशन के चौप्टर IX में दिए गए डिटेल निर्देशों के अनुसार वाष्पित्र का निरीक्षणकरेगा। निरीक्षक, निरीक्षणसे पहले निरीक्षणबुक के मेमोरेण्डम की जांच करेगा और पिछले निरीक्षण में की गई किसी भी एंट्री को नोट करेगा।

53. बैटरी के वाष्पित्र के निरीक्षणके दौरान प्रक्रिया – निरीक्षक, जब बैटरी के एक वाष्पित्र का निरीक्षणकर रहे हों, तो वे स्टीम के तहत दूसरे वाष्पित्र की भी जांच करेंगे, जिसमें वॉटर गेज, प्रेशर गेज और सेपटी वाल्व पर खास ध्यान दिया जाएगा।

54. सर्टिफिकेट और प्रोविजनल ऑर्डर जारी करने का फॉर्म – वाष्पित्र के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले सभी सर्टिफिकेट और प्रोविजनल ऑर्डर रेगुलेशन के क्रमशः फॉर्म VI और फॉर्म V में होंगे और इन्हें मालिकों को अपेंडिक्स 'M' में तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

55. सर्टिफिकेट और प्रोविजनल ऑर्डर की अवधि शुरू होना – किसी भी सर्टिफिकेट या प्रोविजनल ऑर्डर में बताई गई अवधि उस दिन के अगले दिन से शुरू होगी जिस दिन पूरा हाइड्रोलिक टेस्ट या पूरी जांच की जाती है।

III. उल्लंघन की रिपोर्ट और आवेदन दाखिल करना

56. अभिकथित उल्लंघन की रिपोर्ट— यदि निरीक्षक यह देखता है कि स्वामी या किसी व्यक्ति ने अधिनियम के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो धारा 27, 28, धारा 30 की उपधारा (1) और धारा 31 के अधीन शास्ति के भागी हैं, तो वह इसकी रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को करेगा।

57. रिपोर्ट की परीक्षा और आवेदन दाखिल करने का आदेश— निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य निरीक्षक उसकी परीक्षा करेगा और यदि वह संतुष्ट होता है तो रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे निरीक्षक को धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने हेतु लिखित आदेश के साथ वापस कर देगा।

58. आवेदन दाखिल करना— निरीक्षक नियम 57 के अधीन आदेश के अनुसार आवेदन दाखिल करेगा तथा उसके साथ मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट की प्रति संलग्न करेगा और तत्पश्चात् न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के समक्ष दाखिल आवेदन की प्राप्ति की प्रति के साथ मुख्य निरीक्षक को सूचित करेगा।

IV. धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णयन

59. न्यायनिर्णयन कार्यवाही—

- (1) नियम 58 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी जाँच शुरू करेगा और आवेदन में नामित स्वामी या व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे या उन्हें प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर विषय-वस्तु में अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति निरीक्षक को भी सूचनार्थ भेजी जाएगी।
- (2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में स्वामी या किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से उल्लंघन की गई धारा (धाराओं) और उसके उपबंधों को उपदर्शित किया जाएगा तथा जाँच की विषय-वस्तु की सुनवाई के लिए नियत तारीख और समय पर ऐसे व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाएगा। निरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति भी ऐसे नोटिस के साथ संलग्न की जाएगी।
- (3) मामले की सुनवाई की तारीख पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी, स्वामी या जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है वैसे व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अधिनियम और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली या विनियमावली के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण देगा, जो ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथित है और जिसके कारण उल्लंघन हुआ अभिकथित है।
- (4) न्यायनिर्णायक पदाधिकारी, स्वामी या उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, तथा नियम 6 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने वाले निरीक्षक को सुनवाई का अवसर देगा तथा स्वामी या उस व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्हें वह जाँच के लिए सुसंगत समझे तथा यदि आवश्यक हो तो सुनवाई किसी अगली तारीख तक स्थगित की जा सकेगी।

परंतु न्यायनिर्णायक पदाधिकारी उपनियम (3) में उल्लिखित प्रथम सुनवाई की तारीख से 180 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

- (5) सरकार जाँच में विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी पदाधिकारी, अभियोजक या अधिवक्ता को नियुक्त कर सकेगी।

- (6) यदि स्वामी या संबंधित व्यक्ति उप नियम (2) या उप नियम (4) के तहत अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायक पदाधिकारी कारणों को दर्ज करने के बाद जाँच पर कार्यवाही कर सकेगा।
- (7) यदि न्यायनिर्णायक पदाधिकारी, उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् संतुष्ट होता है कि स्वामी या व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच की गई है, धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्ति का भागी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति लगा सकेगा जिसे वह उचित समझे या यदि उल्लंघन सिद्ध नहीं होता है, तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा। प्रत्येक ऐसे आदेश पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किया जायेगा।
शास्ति लगाने के आदेश में धारा (धाराओं) और उसके उपबंधों जिनका उल्लंघन किया गया है, निर्णय के लिए संक्षिप्त कारण और न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर सरकार को ऑनलाइन भुगतान के लिए लगायी गयी शास्ति की राशि का उल्लेख होगा।
- (8) उपधारा (7) के अधीन उस स्वामी (स्वामियों) या व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जिनके विरुद्ध जांच की गई थी और उस निरीक्षक को, जिसने आवेदन दाखिल किया है को न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति भेजी जाएगी।

60. नोटिस और आदेश की तामील— इस नियमावली के अधीन नोटिस और आदेश संबंधित स्वामी (स्वामियों) या व्यक्ति (व्यक्तियों) को तथा निरीक्षक को आवेदन में दर्ज पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा।

v. धारा 36 के तहत अपील

61. अपील दाखिल करना — जो कोई भी धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार को अपील कर सकेगा।

62. अपील की प्रस्तुति— प्रत्येक अपील हिन्दी या अंग्रेजी में स्पष्ट और सुपाठ्य टाइप करके अपीलीय प्राधिकार को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

63. अपील का प्रपत्र— अपील, अपील याचिका के रूप में प्रपत्र 'क' में तीन प्रतियों में होगी और नियम 59 के उप नियम (7) के अधीन जारी न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश की प्रति तथा जिन तथ्यों के विरुद्ध अपील की जा रही है उनका स्पष्ट विवरण, अपील के आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धाराएँ संलग्न होंगी।

64. अपील की संवीक्षा— यदि जाँच करने पर अपील नियमानुसार पाई जाती है, तो उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसे क्रम संख्या दी जाएगी और यदि अपील में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे नोटिस के साथ अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी ताकि ऐसी सूचना प्राप्ति के बीस दिनों के भीतर उसमें त्रुटियों को दूर किया जा सके। यदि उक्त अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अपील को दर्ज करने से मना कर सकेगा।

65. विहित सीमा के बाद दाखिल अपील की स्वीकृति— नियम 9 में किसी बात के होते हुए भी अपील को अपीलीय प्राधिकार द्वारा साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी स्वीकार किया जा सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकार को संतुष्ट करता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

66. अपील की सुनवाई की प्रक्रिया—

- (1) जैसे ही सभी प्रकार से पूर्ण अपील को अपीलीय प्राधिकार द्वारा स्वीकृत और रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है, वह अपील की एक प्रति प्रतिवादी को हाथोंहाथ या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तामील करेगा।
- (2) प्रतिवादी अपील की सूचना देने के तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील पर उत्तर दाखिल करेगा।
- (3) अपीलीय प्राधिकार संबंधित न्यायनिर्णायक पदाधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मँगा सकेगा।
- (4) उपनियम (2) के अधीन उत्तर और उपनियम (3) के अधीन अभिलेख प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकार अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा।
- (5) जब सुनवाई की तारीख नियत हो गई हो, तो अपीलीय प्राधिकार अपीलकर्ता और प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख बताते हुए नोटिस जारी करेगा और उन्हें सूचित करेगा कि वे सुनवाई के दौरान पहचान के साक्ष्य के साथ या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित तारीख को उपस्थित रहें।

- (6) नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ऐसे पते पर भेजी जाएगी जैसा कि अपील याचिका (प्रपत्र 'क') में दर्ज है और यदि वास्तविक कारणों से अपीलकर्ता या प्रतिवादी निर्धारित तारीख पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने में असमर्थ होता है और सुनवाई को स्थगित करने की माँग करता है, तो वह इसकी सूचना अपीलीय प्राधिकार को लिखित रूप में देगा और अपीलीय प्राधिकार, यदि स्थगन के कारणों से संतुष्ट हो जाए तो सुनवाई की दूसरी तारीख निर्धारित कर सकेगा।
- (7) अपीलीय प्राधिकार निर्धारित सुनवाई की तारीख पर अपीलकर्ता और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्णय लेगा और आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे, या तो न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करेगा या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे अपास्त करेगा।
- (8) अपीलीय प्राधिकार को, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के अधीन, जिसे वह न्याय के हित में आवश्यक समझे, अंतरिम आदेश या व्यादेश पारित करने की शक्ति होगी।
- (9) नियम 66 के उपनियम (7) एवं (8) के अधीन अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।
- (10) अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर उसके द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाएगा।
- (11) अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायनिर्णायक पदाधिकारी तथा अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी को संसूचित की जाएगी।
- (12) अपील का निपटारा उसके दाखिल होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर सभी प्रकार से सम्यक् रूप से सुधार करके किया जाएगा।

फॉर्म 'A'
[नियम18(A)]
बॉयलर निरीक्षण विभाग
बॉयलरों का रजिस्टर

रजिस्ट्री संख्या	बॉयलर का प्रकार	बॉयलर रेटिंग	कार्य का दबाव	निर्माता का नंबर	निर्माता और निर्माणवर्ष	पंजीकरण की तिथि	मालिक का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7	8

फॉर्म 'B' नंबर:1
बॉयलर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन
(नियम4)

बॉयलर का रजिस्ट्री/मेकर नंबर	मालिक का नाम और पता	निरीक्षण की तिथि	निर्माता निर्माणवर्ष बॉयलर रेटिंग
1	2	3	4

हमने नियम 7(1) के अन्तर्गत प्रभार्य निरीक्षण शुल्क का ऑनलाईन/कोषागार चालान द्वारा भुगतान कर दिया है।

बिहारबॉयलर्स नियामावली की धारा 7(2) के अधीन कार्य करते हुए, उपरोक्त बॉयलर के निरीक्षण तथा प्रमाण पत्र हेतु बॉयलर निरीक्षक को आवेदन किया जाता है।

तिथि.....

मालिक

फॉर्म 'B' नंबर:2
(नियम 27)
निरीक्षक की घोषणा

बॉयलर का रजिस्ट्री नंबर.....
विवरण.....
बॉयलर रेटिंग.....
हाइड्रोलिक टेस्ट का विवरण.....
निरीक्षणकी तारीख.....
अधिकतम कार्य दबाव.....kg/Cm²
प्रमाणपत्र की अवधि.....

टिप्पणी

ऊपर बताए गए बॉयलर का मेरे द्वारा बॉयलर्स एक्ट 2025 गया और पाया गया कि यह इसके मुताबिक है।

(2025 का 12) 20 की जरूरतों के हिसाबसे निरीक्षणकिया

स्टीम पाइप वाला बॉयलर ऐसे व्यक्ति के पास है/नहीं है जिसके पास काबिलियत/योग्यता का सर्टिफिकेट है और वह खतरनाक हालत में नहीं है।

मेरे हिसाब से, बॉयलर इस फॉर्म में बताए गए समय और वर्किंग प्रेशर पर सुरक्षित रहेगा।

दिनांक.....

बॉयलर निरीक्षक
अंचल

फॉर्म 'C'
(नियम 4)

बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12)

बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 12 के अंतर्गत बॉयलरों की जांच की सूचना

सेवा में दिनांक.....20

.....
.....
.....

आपके आवेदन के उत्तर में, आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परिसर में स्थित बॉयलर निर्माता संख्या..... की अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को गहन जांच/हाइड्रोलिक परीक्षण किया जाएगा। यह जांच संभव हो सके, इसके लिए आप बाध्य हैं:-

- (क) मुझे परीक्षा के लिए सभी उचित सुविधाएं और ऐसी सभी जानकारी प्रदान करना जो आपसे यथोचित रूप से अपेक्षित हो सकती है।
- (ख) बॉयलर को विधिवत तैयार रखना और नियम 376 और 378 में निर्दिष्ट तरीके से निरीक्षण और हाइड्रोलिक परीक्षण के अवलोकन के लिए तैयार रखना और
- (ग) ऐसे चित्र, विनिर्देश, प्रमाण पत्र और अन्य विवरण प्रदान करना जो विनियमों में निर्दिष्ट किए गए हों।

बॉयलर निरीक्षक
अंचल

फॉर्म D

(नियम 63 देखें)

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील की याचिका
बॉयलर्स अधिनियम, 2025 की धारा 36 के मामले में
और

न्याय निर्णायक पदाधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला समर्हता द्वारा पारित दिनांक
.....के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में
अपील संख्या 20

.....
..... बनाम
.....
अपीलकर्ता प्रतिवादी

अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतु:-

अपील प्रस्तुति की तारीख :-
अपील प्राप्त होने की तारीख :-
रजिस्ट्रीकरण संख्या :-

हस्ताक्षर

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ
1.	अपील	
2.	न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा दिनांक.....को जारी नोटिस की प्रति	
3.	अपीलकर्ता द्वारा नोटिस पर दिनांक.....को भेजे गए उत्तर की प्रति	
4.	धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा दिनांक को पारित आदेश की प्रति	

अपील

1.	विवरण	अपीलकर्ता	प्रतिवादी
(i)	नाम	:	:
(ii)	पता	:	:
(iii)	सभी नोटिस भेजने का पता	:	:
(iv)	मोबाइल नंबर	:	:
(v)	ई-मेल	:	:

2. अपीलकर्ता द्वारा की गई घोषणा:-

अपीलकर्ता यह घोषणा करता है कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा उसकी स्वीकृति, सुनवाई और आदेश के लिए की गई अपील, बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 36 के उपबंधों के अनुसार है।

अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के संबंध में यह अपील दायर की गई है, यह किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

3. मामले के तथ्य :-

(यहाँ मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण तथा न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के आधारों का कालानुक्रमिक रूप से उल्लेख करें, प्रत्येक पैरा में अलग-अलग मुद्दे. तथ्य या अन्यथा का उल्लेख हो)

4. माँगी गई राहत (राहतें):-

पैरा 3 में उल्लिखित तथ्यों और जिन आधारों पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई है, उनके मद्देनजर अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है:-

(यहाँ माँगी गई राहत और जिस कानूनी प्रावधान पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो उसका उल्लेख करें)

5. माँगी गई अंतरिम राहत (राहतें)

(यदि प्रार्थना की गई हो)

अपील में अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, अपीलकर्ता निम्नलिखित अंतरिम राहत की माँग करता है:-

(यहाँ माँगी गई अंतरिम राहत (राहतें) तथा उसके कारणों का उल्लेख करें)

6. अनुक्रमणिका का विवरण :

जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया गया है उनका विवरण सहित एक अनुक्रमणिका इसके साथ संलग्न है।

7. अनुलग्नकों की सूची :

(.....)
अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....पिता/पति श्री जो अपीलकर्ता हूँ, यह घोषणा करता हूँ कि पैरा 1 से 7 तक की विषय-वस्तु मेरे अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया है।

(.....)
अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

The 19th December 2025

No. 1/F1-11/2025 अ०सं०/81—The following draft rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 42 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025), and in supersession of the Bihar Boiler rules, 1936 and the Bihar Boiler Penalty Adjudication and Appeal Rules, 2025 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of forty five days from the date of their publication in the Official Gazette of Bihar.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before expiry of the period as specified above will be considered by the State Government. Such objections or suggestions may be addressed to the Labour Commissioner, Bihar, Niyogan Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Bailey Road, Patna- 800001 or Email:-lcbihar@bihar.gov.in.

DRAFT RULES

I. PRELIMINARY.

1. Short title and commencement –
 - (1) These rules may be called the Bihar Boilers Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);
 - (b) “section” means a section of the Act;
 - (c) “Adjudicating Officer” means the District Magistrate or the Additional District Magistrate having jurisdiction authorised under sub-section (1) of section 35 of the Act;
 - (d) “Appellate Authority” means an officer not below the rank of Secretary to the Government of the department implementing the Act authorised under sub- section (1) of section 36 of the Act;
 - (e) “Appellant” means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 36;
 - (f) “Application” means an application to be filed before the Adjudicating Officer under section 35.
 - (g) “regulations” mean regulations made by the Board under section 40;
 - (h) “form” means a form appended to these rules;
 - (i) “Government” means the Government of Bihar unless otherwise mentioned;
 - (j) “Chief Inspector” and “Inspector” mean, respectively a person possessing such qualification and experience as prescribed by the Central Government and appointed by the State Government to be a Chief Inspector and an Inspector under section 5;
 - (k) “rules” mean rules of the Bihar Boiler Rules, 2025;
 - (l) “Appendix” means an appendix ‘M’ of the regulations.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but

defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

II GENERAL

3. **(I) Fees.-** All fees payable under this Act shall be deposited electronically or as may be prescribed by the State Government via notification time to time.

(II) Recoverable Penalties- For the purposes of the Sub Section 2 of Section 32, all penalties, fines and costs levied under this act shall be deposited in the Boilers Welfare Fund. The amount shall be utilised as the manner may be notified by the State Government.

4. **Application for certificate of boiler-** The owner requiring a certificate for use of boiler is to make an online application to the Inspectors in Form B ;No-1, mentioning there in the date on which the boiler will be kept ready for inspection. Such application shall be accompanied by fee under sub-rule (1) of rule 7 for registration or fee specified by regulation 385A for renewal of certificate as the case may be. The Inspector shall then satisfy himself that the fee and the additional fee, if any chargeable for inspection on Sunday or other holiday as laid down in sub-rule (6) of rule 7 together with the Inspectors travelling expenses, if any chargeable under sub-rule (7) of rule 7 have been paid. If the date of inspection mentioned in the application by the owner is unsuitable the Inspector shall fix a date within fifteen days from the date of receipt of the application for inspection of the boiler and shall forthwith communicate the date so fixed to the owner. In case of application for registration under sub-section (1) of section 12, the Inspector shall give the owner not less than ten days' notice in Form 'C' of the date so fixed.

5. **Inspection timing. -** The time for the inspection of boiler and boiler components shall be between sunrise and sunset.

III FEES

6. **Basis of fees for boiler: -** Fees payable for registration of boiler and renewal of certificate thereof shall be calculated on the basis of boiler rating as specified by regulation 384.

7. The following fees are payable namely:-

(1) **Registration Fee:-** Fee required to accompany an application for registration and first inspection of boiler under sub-section (2) of section 12 of the Act prescribed by the Government shall be as follows:

S.No.	Boiler Ratings	Fee (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1	For Small Industrial Boiler as per Chapter XIV of the regulations	2500
2	For Boiler Rating not exceeding 10	3600
3	For Boiler Rating exceeding 10 but not exceeding 30	4800
4	For Boiler Rating exceeding 30 but not exceeding 50	5400
5	For Boiler Rating exceeding 50 but not exceeding 70	6600
6	For Boiler Rating exceeding 70 but not exceeding 90	7800
7	For Boiler Rating exceeding 90 but not exceeding 110	9000
8	For Boiler Rating exceeding 110 but not exceeding 200	10200
9	For Boiler Rating exceeding 200 but not exceeding 400	11400
10	For Boiler Rating exceeding 400 but not exceeding 600	13200
11	For Boiler Rating exceeding 600 but not exceeding 800	14400

12	For Boiler Rating exceeding 800 but not exceeding 1000	16200
13	For Boiler Rating exceeding 1000 but not exceeding 1200	19200
14	For Boiler Rating exceeding 1200 but not exceeding 1400	21600
15	For Boiler Rating exceeding 1400 but not exceeding 1600	25200
16	For Boiler Rating exceeding 1600 but not exceeding 1800	27000
17	For Boiler Rating exceeding 1800 but not exceeding 2000	30000
18	For Boiler Rating exceeding 2000 but not exceeding 2200	32400
19	For Boiler Rating exceeding 2200 but not exceeding 2400	36000
20	For Boiler Rating exceeding 2400 but not exceeding 2600	37800
21	For Boiler Rating exceeding 2600 but not exceeding 2800	40800
22	For Boiler Rating exceeding 2800 but not exceeding 3000	43200

For Boiler Rating exceeding 3000, for every 200 or part thereof an additional fee of Rupees 1200 shall be charged.

Provided that the Chief Inspector may direct that no registration fee shall be payable in respect of a fresh application to be made in pursuance of sub section (2) of section 19 of the Act. Inspection fee for separately fired Superheater, Reheater and Economiser shall be charged at the same rate as the registration fee.

For Heat Recovery Steam Generators with finned tubes, the fee shall be calculated taking heating surface area of bare tubes and one fourth of heating surface area of fins for Boiler Rating.

- (2) Fee for renewal of certificate.- Fee required to accompany an application for inspection and issue of renewed certificate of boiler under sub-section (3) of section 13 of the Act shall be as specified by regulation 385A.
- (3) Applicability of the above fee.- The fee mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2) shall cover thorough inspection, hydraulic test and steam test, where such are necessary and shall be applicable for Economiser at the same rate.
- (4) Second fee for re-inspection of a defective boiler- A second fee for renewal of certificate as specified by regulation 385A shall be leviable for re-inspection of a defective boiler after completion of repairs.
- (5) Cancellation of fee for boiler not made ready for inspection.- The fee for registration or renewal of certificate shall be cancelled, if the boiler is not ready for inspection on the date fixed for the visit of the inspector. In such case, the owner is to pay fresh fee subject to provisions of sub-section (2) of section 19.
- (6) Additional fee for inspection on Sunday and Holiday.- For inspection on Sunday and Public Holiday under the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881), on the request of owner, an additional fee equivalent to half of applicable fee shall be payable. Half of amount so credited to Government shall subsequently be drawn and paid to the Inspector by whom a claim for this amount has been made.
- (7) Payment of Inspector's travelling expenses in certain cases.- If the owner requires an inspection at a time which would necessitate a special journey by an Inspector, the travelling expenses of the Inspector and his attendant

staff, if any, as determined by the Travelling Allowance Rules shall be paid by the owner in addition to any fees mentioned in this rule.

Provided that if two or more owners apply for inspections which are to be made in the course of a single such journey, the travelling expenses specified in this sub-rule shall be realized from such owners in such proportion as the Chief Inspector may determine.

- (8) Fee for duplicate certificate for use of a boiler.- A duplicate of in force certificate for use of a boiler granted under section 12 or section 13, on application and fee of rupees 500 only per copy from the owner, shall be issued by the Chief Inspector if he is satisfied that the duplicate is required for a bona fide purpose.
- (9) Fee for copy of Registration Book.- A copy of Registration Book of an installed boiler, on the application and a fee of rupees 2000 only per copy from the present owner, shall be provided by the Chief Inspector to such owner.

8. Fee for inspection during manufacture of boilers and boiler components, namely: -

- (1) Boilers manufactured or erected. - The inspection fee for boilers manufactured in shop or assembled at the site of erection shall be at four times the fee as specified by regulation 385A.
- (2) Tubes and pipes. - The inspection fee for tubes and pipes shall be at the rate as specified by sub-regulation (2) of regulation 395A.
- (3) Pipelines. - The inspection fee for pipes inclusive of all fittings erected at site shall be at the rate as specified by sub-regulation (2) of regulation 395B.
- (4) Forged pipe fittings. - The inspection fee for forged pipe fittings shall be at the same rate as specified for forged and cast flanges under clause (i) of sub-regulation (2) of regulation 395C.
- (5) Other than forged pipe fittings.- The inspection fee for pipe fittings other than forged pipe fittings shall be at two times the rate as specified for forged and cast flanges under clause (i) of sub-regulation (2) of regulation 395C.
- (6) Flanges.- The inspection fee for flanges shall be at the rate as specified by sub-regulation (2) of regulation 395C.
- (7) Bends.- The inspection fee for pipe and tube bends shall be at the rate as specified by sub-regulation (6) of regulation 395A.
- (8) Valves.- The inspection fee for valves shall be at the rate as specified by sub-regulation (1) of regulation 395C and that for components of valves shall be as specified by regulation 395D.
- (9) Feed Water Heaters and other Fittings.- The inspection fee for Feed Water Heaters and other fittings like de-super-heaters, steam receivers, steam separators, catch water, Accumulators and separately fired superheaters shall be at the rate as specified by regulation 395E.
- (10) Spares of boiler components.- The inspection fee for spares of boiler components in the form of coils shall be on the basis of their individual ratings and charged as specified by regulation 385A.

9. Fees for approval of drawings namely:-

- (1) Manufacturing drawings of boilers.- The fees for scrutiny and approval of manufacturing drawings of boilers and boiler components including spares as per clause (d) of the regulation 393 shall be on the scale as specified by regulation 385A.
- (2) Plans of steam pipes:- The fees for examination and approval of plans of steam pipes including mountings and fittings shall be charged at the rate as specified by clause (b) of regulation 395.
- (3) Plans of Feed pipes and fittings.- The fees for scrutiny and approval of plans of feed pipes and fittings like Feed Water Heater shall be charged at the rate as specified by regulation 534B.

10. Fee for Boiler Repairer.- The fee for recognition of firm as a Boiler Repairer or Erector, renewal and endorsement thereof shall be charged as specified by sub-regulation (2) of regulation 392.

11. Fees for Examination for Boiler Attendant and Boiler Operation Engineer.- Examination fee for Certificate of Competency as a Boiler Attendant and Certificate of Proficiency as a Boiler Operation Engineer respectively shall be as per relevant rules of the Boiler Attendant Rules, 2011 and the Boiler Operation Engineers rules, 2021 made by the Central Government under the Act.

12. Fee and Penalty for Welders, namely:-

- (1) Examination fee.- The fee for examination of welder shall be as specified by sub-regulation (2) of regulation 616.
- (2) Endorsement fee.- The fee for endorsement of welder's certificate of welder shall be as specified by clause(ii) of regulation 616.
- (3) Fee for Duplicate Certificate.- The fee for issue of duplicate certificate of welder shall be as specified by clause(ii) of regulation 605A.
- (4) Penalty for contravention of regulation.- The employer engaging a person in welding a boiler or steam-pipe in contravention of regulations shall be punishable with fine as specified by sub-regulation (1) of regulation 617.
- (5) Penalty for failing to maintain welder's records.- The welder or his employer failing to maintain records as required under regulation 615 shall be punishable with fine as specified by regulation 617.

IV POWER AND DUTIES OF THE CHIEF INSPECTOR

13. General control.- The Chief Inspector shall be vested with all powers and duties of an Inspector under the Act. His main duty shall be the supervision and control of the work of the Inspectors. He shall inspect or examine boilers and boiler components for certification in such cases as he considers necessary so to do personally by him.

14. Specific duties.- The Chief Inspector shall-

- (a) represent the State as a member of the Central Boilers Board constituted by the Central Government under section 3;
- (b) act as an Inspecting Authority under section 2 and may also work as a Competent Authority under the same section as per regulation 4H;
- (c) submit comments/suggestions to the Central Government on the proposed amendment in the rules and regulations;
- (d) submit proposal to the Government for making Boiler Inspectorate of the State well equipped with facilities to keep pace with the technological

advancement;

- (e) act as an ex-officio Chairman of the Committee of Examiners and the Borad of Examiners in the State to conduct examinations for grant of certificate of proficiency and certificate of competency respectively as per relevant rules of the Central Government made under section 39;
- (f) arrange in-house and field- training to Inspectors;
- (g) have discretionary powers to exercise for deciding matters not specified and things not required under the regulations;
- (h) perform all such duties of the Chief Inspector and of the Inspecting Authority for inspection, examination, scrutiny, approval, endorsement, renewal witnessing tests etc dealt in regulation for the purpose of grant of certificates in proper form thereunder.

15. Routine duties:-The Chief Inspector shall-

- (a) Personally check the registration books of all newly registered boilers for approval of the initial maximum working pressure and have all orders required by section 12 entered by his own signature;
- (b) Have any subsequent entries required in the registration book entered under his own signature;
- (c) Obtain the Memorandum of Inspection and Registration Books for a boiler which has been registered in another State/Union Territory and the subsequent transfer of which to this State is reported under clause (b) of sub-section (1) of section 11 (see regulation 388);
- (d) Approve the programme of inspection of all Inspectors subordinate to him with due regard to the convenience and urgency of owners;
- (e) Examine and countersign the Inspector's notes of inspection entered on Form B. No.2, after each inspection;
- (f) Pass orders in the case in which an Inspector informs that the boiler or boiler components, or both does not conform to the standards as specified by regulations under provision of clause (b) of sub-section (5) of section 13;
- (g) Pass orders on the report of an Inspector or otherwise for revocation of any Certificate or Provisional Order under provision of section 16;
- (h) Accord authorisation in writing for structural alteration and renewal to be made in or to any boiler registered under the Act under provision of section 17 and that for any steam-pipe or other boiler components attached to the boiler on receipt of report in writing of owners intension under provision of section 18;
- (i) Pass orders in all cases in which it is reported that the boiler or boiler components or both has not been properly prepared and ready for examination on the date fixed under provision of sub-section (2) of section 19;
- (j) Decide all appeals against the order of the Inspector under provision of section 24;
- (k) Sanction prosecutions under provision of section 33;
- (l) Inquire into serious accident occurring to a boiler or boiler component resulting any death and forward a preliminary inquiry report to the

Technical Adviser as per Rule 4 of the Boiler Accident Inquiry Rules 2021 framed by the Central Government under section 39;

- (m) Decide usability of boiler after completion of inquiry into accident resulting in any death;

16. Periodic duties:- The Chief Inspector shall

- (a) Inspect his own office and establishment and that of all the Inspectors subordinate to him at least once in a calendar year;
- (b) Prepare and submit to the Government the Annual Report of the working of the Act for the relevant Financial Year in the month of July of subsequent year;
- (c) Prepare and submit to the Government the budget estimate for carrying out the purpose of the Act in the month of July during the relevant Financial Year;
- (d) Prepare character role of each employee working in his office as well as all Inspectors in the circle offices for the period of preceding year;
- (e) Make surprise visit of all circle offices at any time during the working hours at least every quarter in the current calendar year;
- (f) Convene in his office a quarterly meeting of all Inspectors for the review of their work done so far by them;

17. Advice to owners.- The Chief Inspector may advise owners regarding the maintenance, working, cleaning and safety of boilers and boiler components.

18. Register to be kept.- The Chief Inspector shall keep in his office-

- (a) a register in Form A of all boilers registered in the State or the registry of which has been transferred from another state;
- (b) the registration book of all boilers entered in Form A of the register;
- (c) a register of appeals filed under section 24;
- (d) a register of accidents occurred under section 23;
- (e) a register of boilers transferred to another state.

19. Control of bills.- The Chief Inspector shall be the controlling or countersigning authority of all contingent bills and of travelling allowance bills of officers subordinate to him.

V POWER AND DUTIES OF INSPECTORS

20. Subordinate to Chief Inspector.- Inspectors shall be directly subordinate to and under the control of the Chief Inspector to exercise the powers and perform the duties by or under the Act.

21. General duties of Inspectors.- The main duties of the Inspectors as laid down in the Act shall be the inspection and examination of boilers and boiler components. Inspections shall be carried out in strict accordance with Chapter IX of the Regulations and Parts VIII and IX of these rules.

22. Kind of inspections.- There shall be two kinds of inspection of boilers:-

- (a) When a certificate authorising the use of boiler in any cases under sub-section (1) of section 13 has ceases to be in force or it has been revoked under section 16 and the owner desires to get it renewed, a thorough examination inside and outside shall be made by an Inspector, for which purpose the boilers must be prepared as required by regulation 376 and 378.

- (b) An ordinary inspection may be made by an Inspector at any time for the purpose of ascertaining whether any certificate or provisional order should be revoked or not under section 16.

23. Specific duties.- Inspector shall-

- (a) receive application for registration or inspection under section 12 or 13 and report of accident under section 23;
- (b) prepare a programme of inspections with regard to the convenience of owners generally and submit it to the Chief Inspector for approval at least five days before the first date fixed in the programme. The owner making an application for registration of a boiler under section 12 shall be given not less than ten days notice in Form C of the date so fixed;
- (c) submit for the orders of the Chief Inspector-
 - (i) the Memorandum of Inspection and Registration Books of all boilers proposed for registration under section 12 along with report of inspection and documents under sub-section (1) within seven days of the date of inspection;
 - (ii) proposals for necessary repairs to boiler and boiler components attached thereto and structural alterations or renewals to a boiler after inspection under section 13 or 17;
 - (iii) proposals for refusing to renew a certificate or revoking the same or provisional order under section 13 or 16;
 - (iv) report when boilers have not been properly prepared for inspection under section 19;
 - (v) proposal for prosecution under the Act and relevant rules of the Government.
- (d) inquire into accidents to boilers or boiler components and report to the Chief Inspector;
- (e) report to the Chief Inspector cases of unreported accidents discovered at the time of inspection;
- (f) maintain and keep in their office a Memorandum of Inspection Book for each boiler in their charge, in which shall be entered in ink their notes on each inspection and any other particulars affecting the history of the boiler. Such notes shall be entered in the place for remarks provided on Form B: No.2
- (g) keep a dairy for monthly submission to the Chief Inspector in the first week of subsequent month showing places visited, boilers registered or inspected, variation from the approved programme, and any other important particulars;
- (h) submit to the Chief Inspector Tour Activity Report of the month in Form 'D';

24. Periodic duties.- Inspector shall-

- (a) attend quarterly meeting of all inspectors convened by the Chief Inspector under clause (f) of rule 16 or by high official as directed;
- (b) forward to the Chief Inspector annual confidential character role report of each employee working in their office for the period of preceding year;

25. Search for uncertificated boiler.- In addition to the inspection and examination of boilers, it shall be the duty of Inspectors to search for unregistered or uncertificated boilers within their areas of jurisdiction, and to see that certificated boilers are worked in accordance with the terms and conditions of their certificates and with any regulation or rule under the Act for safe working;

26. Inspectors to advise owners.- At the time of inspection, Inspectors may advise the owners and the person in charge of the boiler on the management and upkeep of the boiler with special reference to the amount of cleaning required in view of the quality of water and fuel used.

27. Inspectors declaration.- When an inspection under the Act is completed the Inspector making it shall prepare a declaration in Form B, No.2, in which the limit of the maximum working pressure in Kg/cm²(G) , period for which the certificate is to be granted and remarks shall be clearly noted.

28. Grant of certificate.- After declaration under rule 27. The Inspector shall prepare a certificate in Form VI specified by regulation 389, such certificate signed by the Inspector and countersigned by the Chief Inspector in the case of registration shall be issued online to the owner of boiler inspected within time limits as specified in Appendix M of the regulations.

V ACCIDENT

29. Investigation of accident.- On receipt of a report of an accident to a boiler or boiler components under section 23, the Inspector shall without delay proceed to the place to investigate the accident. If the report is received by the Chief Inspector or any of the high officials of the Government , he shall forward it at once to the Inspector within the areas of whose jurisdiction the accident has occurred, for necessary action;

30. Procedure during inquiry.- The Inspector at his inquiry shall make a careful examination of the damaged parts, and shall take such measurements and make such sketches or take such snapshot in his mobile set for the purpose of his report, as he may deem necessary. He shall inquire into circumstances causing the accident and note the time of its occurrence, its nature and extent, the injury caused to persons and the damage done to property.

31. Power to hold inquiry in writing.- The Inspector shall take the written statements of witnesses and all persons closely concerned with the accident. In order to comply with the provisions of sub-section (3) of section 23 the Inspector shall present to the owner or person in charge of the boiler a series of written questions on all points that seem to be the material to the inquiry.

32. Procedure on receipt of investigation report and in case of accident resulting in any death.- The Inspector shall send report without delay to the Chief inspector who, if he considers that the investigation has been sufficient, shall record the facts in his register of accidents and shall enter a brief account of accident in the Memorandum of Inspection Book and the Registration Book. But in the case of accident resulting in any death, the Chief Inspector, on receipt of the report of the Inspector shall proceed to investigate the accident personally and forward a preliminary inquiry report to the Technical Adviser as per Rule 4 of the Boiler Accident Rules, 2021 of the central Government.

33. Use of boiler after accident.- The Chief Inspector shall decide whether the use of boiler or boiler components can be permitted at the same or at a lower pressure than that allowed initially without repairs or pending the completion of any repairs or

alterations that he may order or declare them beyond repairs and liable to be discarded from further use. The Inspector, in no case shall issue a provisional order or renewal certificate without the order of the Chief Inspector in the matter.

34. Reference in Annual report.- A brief account of all accidents and their causes shall be included in the annual report on the working of Act.

35. Unreported accidents.- If in the course of an inspection or at any other time, the Inspector discovers damage which comes within the definition of an accident, but which has not been reported, he shall report the facts at once to the Chief Inspector for action under clause (iv) of section 27.

VII APPEAL TO CHIEF INSPECTOR

36. Filing of Appeal.- Every appeal by the aggrieved person under section 24 shall be made in writing either in Hindi or English and shall be presented to the Chief Inspector, within a period of thirty days of the communication to him of the order or refusal against which an appeal is preferred.

37. Presentation of Appeal.- An appeal may be presented either personally or by registered post or speed post to the Chief Inspector.

38. Form of appeal.- The appeal shall be accompanied by the original order or refusal appealed against or by a certified copy thereof; or where no such original order or refusal has been made in writing, by a clear statement of the facts appealed against, the grounds for appeal and relevant section of the Act.

39. Fixing date for hearing.- On receipt of an appeal, the Chief Inspector shall fix a date for hearing of the appeal and its disposal within thirty days from the date of receipt of appeal.

40. Procedure of hearing.-

- (1) When the date for hearing has been fixed, the Chief Inspector shall issue a notice to the appellant stating the date fixed for hearing and informing him that if he wishes to be heard in support of the appeal or to produce evidence, he must be present either in person or by an authorised agent with his evidence on the petition of appeal;
- (2) If due to genuine reasons the appellant is unable to be present either in person or by an authorised agent for hearing on the date fixed and seeks postponement of hearing, shall intimate the same in writing to the Chief Inspector, who if satisfied with the reasons for postponement of hearing may fix another date of hearing.

41. Presence of Inspector.- In all appeals the Chief Inspector shall decide whether the presence of the Inspector is necessary and issue directions accordingly.

42. Attendance of witness.- In all appeals the Chief Inspector shall decide whether the presence of any witness is required and issue directions accordingly.

43. Ex-parte decision.- If the appellant is not present on the date fixed, the appeal may be decided in his absence.

44. Fee required for certificates granted on appeal.- Any order on appeal authorising the grant or renewal of a certificate shall be deemed to be the subject to the payment of applicable fees as prescribed by rules or specified by regulations framed under the Act.

VIII ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS FOR REGISTRATION

45. Importance of registration.- Inspector shall carry out the technical instructions for the registration of boilers, as laid down in Chapter IX of the regulation, with the greatest care and precision, as the details of measurement of parts recorded at the time of registration constitute a permanent record for the boiler to determine the maximum working pressure at which the boiler is allowed to work.

46. Application and Fee.- Online application in Form B: No.1 for registration under sub-section (1) of section 12 shall be made to the Inspector of the areas of Inspector in accordance with the provision of rule 4. No boiler shall be registered if the fee is found to be deficient, until the deficient is paid.

47. Register of registered boilers.- The Chief Inspector shall maintain a register of registered boilers in serial order in Form A in two parts; in part I (boilers originally registered in the State) the registry number of a boiler shall be the one immediately following the last serial number in the register. Gap numbers due to boilers having been broken up or transferred to another State shall not be filled up. In part II (boilers originally registered in another States and transferred to this state) entries shall be made as prescribed in rule 49.

48. Procedure on transfer of boiler from one State to another.- Whenever a boiler is transferred from one state to another, the owner shall, under clause (b) of sub-clause (1) of section 11, report it to Chief Inspector of the State to which the boiler is transferred. The Chief Inspector shall then obtain from the State the Registration Book and the Memorandum of Inspection Book of the boiler on request under regulation 388 and shall record his remarks on transfer in the Books and communicate to this effect to the owner. The boiler cannot be used until its transfer is affected and unless the owner is in possession of the certificate or the provisional order authorising the use of the boiler.

49. Entry in the register of boilers transferred from one State to another.- On receipt of the Registration Book and the Memorandum of Inspection Book, the Chief Inspector shall enter the original registry number of boiler in part II of his register and the books shall be as provided in clause (a) of rule 18 and clause (7) of rule 23.

50. Note of boilers transferred to another State and dismantled.- Whenever a boiler has been transferred to another State or broken up, the fact shall be noted in part I of the register in Form 'A' provided under rule 47.

51. Procedure on transfer of a boiler within State. Whenever a boiler is transferred from one place to another within state, the present owner shall under sub-section (9) of section 12 report to the Chief Inspector with a request to affect transfer. The Chief Inspector shall then forthwith send to the Inspector concerned the Registration Book kept in his office under clause (a) or (c) of rule 15 with an instruction to see and verify that the boiler at transferred place is of the same registry number, type and external main dimension as per the book. The Inspector shall forward a report along with the book to the Chief Inspector within seven days from the date of receipt of instruction. If the Chief Inspector is satisfied with the report of boiler being genuine and nothing like its being broken up or permanently dismantled noted in the register under rule 47 and no objection received from the owner at previous place, he shall record his remarks on transfer in the books and communicate it to the present owner. The boiler cannot be used until its transfer is affected and unless the owner is in possession of certificate or the provisional order authorising use of the boiler.

IX. ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS FOR INSPECTION

52. Reference to previous inspections.- Inspector shall carry out the inspection of boilers in accordance with the detailed instructions in Chapter IX of the regulations. The Inspector, previous to an inspection shall scrutinise the Memorandum of Inspection Book and shall note any entries that may have been made at the last inspection.

53. Procedure during inspection of boilers of a battery.- Inspectors, when inspecting one boiler of a battery, shall also examine the other boilers under steam, with special reference to the water gauges, pressure gauges and safety valves.

54. Form of certificate and provisional order for issue. – All certificates and provisional orders authorising use of the boiler shall be in Form VI and Form V respectively of the regulation and shall be granted and online issued to owners within time limit prescribed in Appendix 'M'.

55. Period of certificate and provisional order to begin.- The period specified in any certificate or provisional order shall begin on the day following that on which the completed hydraulic test or thorough inspection is made.

X REPORT OF CONTRAVENTION AND FILING APPLICATION.

56. Report of alleged contravention. - If the Inspector observes that the owner or any person has contravened such provisions of the Act which are liable to penalty under sections 27,28, sub-section (1) of section 30 and section 31, he shall report the same to the Chief Inspector.

57. Examination of report and order for filing application. - On receipt of the report from the Inspector, the Chief Inspector shall examine it and if satisfied, he shall countersign the report and return it with an order in writing to the Inspector to file an application before the Adjudicating Officer for adjudication under section 35.

58. Filing of application. -The Inspector shall file the application as per order under rule 57 enclosed therewith the copy of the report duly countersigned by the Chief Inspector and thereafter shall inform the Chief Inspector with a copy of receipt of the application filed before the Adjudicating Officer.

XI ADJUDICATION UNDER SECTION 35.

59. Adjudication proceedings. -

- (1) On receipt of the application under rule 58, the Adjudicating Officer shall commence the inquiry and issue a notice to owner or person named in the application filed giving him or them an opportunity to make a representation in the subject matter within a period of thirty days from the date of receipt thereof. A copy of such notice shall also be sent to Inspector for information.
- (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the section(s) and the provisions thereof alleged to have been contravened by the owner or any person and enforce the attendance of such person or his authorized representative on the date and time fixed for hearing of the subject-matter of the inquiry. A copy of the report of the Inspector shall also be annexed to such notice.
- (3) On the date of hearing of the case, the Adjudicating Officer shall explain

to the owner or person proceeded against or to his authorized representative regarding contravention of the provisions of the Act and rules or regulations made thereunder that are alleged to have been committed by such owner or person and due to which the contravention is alleged to have occurred.

- (4) The Adjudicating Officer shall then give an opportunity of hearing to the owner or person proceeded against and to the Inspector filing application under rule 58 and may require the owner or person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date and taking such evidence the Adjudicating Officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakhya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

Provided that the Adjudicating Officer shall pass the final order within 180 days from the date of first hearing mentioned in sub-rule (3).

- (5) The Government may appoint any officer, prosecutor or an advocate to represent the department in the inquiry.
- (6) If the owner or person concerned fails, neglects or refuses to appear or produce documentary evidence as required by sub-rule (2) or sub-rule(4) as the case may be, before the Adjudicating Officer, The Adjudicating Officer may proceed with the inquiry after recording the reasons for doing so.
- (7) If the Adjudicating Officer, on consideration of the documentary evidence produced before him, is satisfied that the owner or person, against whom the inquiry has been conducted, is liable to penalty under sections 27, 28, sub-section (1) of section 30 and section 31, he may, by order in writing impose such penalty as he thinks fit or if the contravention is not proved, he may reject the application. Every such order shall be signed with date by the Adjudicating Officer.

The order imposing penalty shall have mention of section (s) and its provisions found contravened, reasons in brief for the decision and the sum of the penalty imposed for online payment to the Government within thirty days from the date of order by the Adjudicating Officer.

- (8) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order made under sub-section (7) to the owner(s) or person(s) against whom the inquiry was conducted and to the Inspector who has filed the application.

60. Serving on notice and order. - The notice and the order under these rules shall be sent to the concerned owner(s) or person(s) and to the Inspector by registered post or by speed post at such address as entered in the application.

XII APPEAL UNDER SECTION 36

61. Filing of Appeal. - Whoever aggrieved by the order, passed by the Adjudicating Officer under section 35, may prefer an appeal to the Appellate Authority within sixty days from the date of receipt of the order.

62. Presentation of Appeal. - Every appeal shall be either in Hindi or English fairly and legibly type written and presented either personally or by speed post to the Appellate Authority.

63. Form of Appeal. - The appeal shall be in Form 'A' as Petition of Appeal in triplicate and shall be accompanied by a copy of the order of Adjudicating Officer issued under sub-rule (7) of rule 59 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section(s) of the Act.

64. Scrutiny of Appeal. - If on scrutiny, the appeal is found in order, it shall be registered and given a serial number and if the appeal is found to be defective, the same with notice shall be returned to the appellant for rectification of defects therein within twenty days of receipt of such notice. If the defects are not rectified within the said period, the Appellate Authority may for the reasons to be recorded in writing, decline to register admission of the appeal.

65. Admission of late filed Appeal. - Notwithstanding anything contained in rule 61, the appeal may be admitted by the Appellate Authority after the expiry of the period of sixty days, if the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

66. Procedure of hearing Appeal. -

- (1) As soon as the appeal completed in all respect is admitted and registered by the Appellate Authority, he shall serve a copy of the appeal on the respondent by hand delivery or by speed post.
- (2) Respondent shall file reply on the appeal to the Appellate Authority within thirty days of serving notice of appeal.
- (3) The Appellate Authority may call for the records relating to the proceeding from the respective Adjudicating Officer.
- (4) On receipt of reply under sub-rule (2) and records under sub-rule (3), the Appellate Authority shall fix a date for hearing of the appeal within thirty days from the date of receipt thereof.
- (5) When the date of hearing has been fixed, the Appellate Authority shall issue notice to the appellant and the respondent stating the date of hearing and informing them to remain present during hearing either in person or by authorized representative with evidence of identity on the date fixed.
- (6) The notice shall be sent by registered post or speed post at such address as entered in the petition of Appeal (Form 'A') and if due to genuine reasons the appellant or the respondent is unable to be present either in person or by representative for hearing on the date fixed and seeks postponement of hearing, shall intimate the same in writing to the Appellate Authority and the Appellate Authority, if satisfied with the reasons for postponement may fix another date of hearing.
- (7) The appellate Authority after giving the appellant and the respondent an opportunity of being heard to the appeal on the date of hearing fixed, take decision and pass order as he may think fit either confirming order passed by the Adjudicating Officer or setting aside the order appealed against.

- (8) The Appellant Authority shall have powers to pass interim order or injunction, subject to reasons to be recorded in writing, which he considers necessary in the interest of justice.
- (9) The order passed by the Appellate Authority under sub –rules (7) and (8) of rule 66 shall be final and the same shall not be challenged in any court of law.
- (10) The order of the Appellate Authority shall be signed by him with date.
- (11) A certified copy of every order passed by the Appellate Authority shall be communicated to the Adjudicating Officer and to the appellant as well as respondent.
- (12) The appeal shall be disposed of within sixty days from the date of its filing duly corrected in all respect.

Form 'A'

[Rule 18(a)]

BOILER INSPECTION DEPARTMENT

REGISTER OF BOILERS

Registry number	Type of Boiler	Boiler rating	Working pressure	Maker's number	Maker and Year of make	Date of registration	Name & Address of owner
1	2	3	4	5	6	7	8

Form B, No :1
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF BOILER
(Rule 4)

Registry/Maker's number of boiler	Name & Address of owner	Date of inspection	Maker Year of make Boiler rating

We have paid online /by treasury challan inspection fee chargeable under rule 7(1)/ 7(2) of the Bihar Boilers Rules and hereby apply to the Inspector of boilers for an inspection of, and certificate for the above noted boiler.

Date.....

This day of 20

Owner

Form B, No : 2.

(Rule 27.)

DECLARATION OF INSPECTOR

Registry no. of boiler.....

Description.....

Boiler rating.....

Particulars of Hydraulic Test.....

Date of Inspection.....

Maximum Working Pressure..... Kg/Cm2

Period of certificate

REMARKS

The above noted boiler was inspected by me on the 20 and found to be in accordance with the requirements of the Boilers Act 2025. (12 of 2025)

The boiler with attached steam pipes is in the charge/ not in the charge of a person holding certificate of proficiency/ competency and is not in a dangerous condition.

The boiler will, in my judgment, be safe for the period and at the working pressure, stated in this form.

Dated at

This day of 20

Inspector of Boilers

.....Circle.....

Form C

(Rule 4)

The Boilers Act, 2025.(12 of 2025)

Notice of Examination of Boilers under section 12 of of the Boilers Act, 2025

No. of 20

To

Dated.....20

In reply to your application, dated....., you are hereby informed that boiler maker no.-----at the above named premises will be thoroughly examined/ hydraulically tested by the undersigned on the To enable the examination to be made, you are bound-

to afford to me all reasonable facilities for the examination and all such information as may reasonably be required of you;

to have boiler properly prepared and ready for inspection and witnessing hydraulic test in the manner specified by regulations 376 and 378 respectively ; and

to provide such drawing, specification, certificate and other particulars as may be specified in regulation.

Inspector of Boilers
.....Circle.....

FORM 'D'
(see rule 11)
Petition of Appeal
BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY
In the matter of section 36 of the Boilers Act, 2025
AND
In the matter of Appeal against the order dated-----
Passed by the District Magistrate/the Additional District Magistrate, -----as the
Adjudicating Officer
APPEAL NO.-----OF 20-----

Vs

-Appellant
-Respondent

For use in Appellate Authority's office: -

Date of presentation of Appeal : -----

Date of receipt of Appeal : -----

Registration No. : -----

Signature

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page
1.	Appeal	
2.	Copy of Notice dated-----issued by the Adjudicating Officer	
3.	Copy of Reply dated-----sent by the Appellant to the Notice	
4.	Copy of the order dated-----passed by the Adjudicating Officer under section 35	

APPEAL

1.	<u>Particulars</u>	<u>Appellant</u>	<u>Respondent</u>
(i)	Name	: -----	-----
(ii)	Address	: -----	-----
(iii)	Address for sending all notices:	-----	-----
(iv)	Mobile No.	: -----	-----
(v)	E-mail	: -----	-----

2. Declaration made by the Appellant:

The Appellant declares that the Appeal made for its admission, hearing and order by the Appellate Authority is in accordance with the provisions of section 36 of the Boilers Act, 2025.

The Appellant further declares the matter regarding which this Appeal has been filed is not pending before any other court of law or any other authority or any other Tribunal.

3. Facts of the case:

(Here mention a concise statement of facts of the case and grounds of Appeal against the order of the Adjudicating Officer in a chronological order, each paragraph containing as separate issue, fact or otherwise)

4. Relief (s) sought:

In the view of the facts mentioned in paragraph 3 and the grounds on which the order of the Adjudicating Officer is challenged, the Appellant prays for the following relief(s)-

(Here specify the relief (s) sought and the legal provision, if any, relied upon)

5. Interim relief (s) sought:

(If prayed for)

Pending the final decision in the Appeal, the Appellant seeks the following interim relief (s):-

(Here specify the interim relief (s) prayed for and the reasons therefor)

6. Details of Index:

An index containing the details of the documents relied upon is enclosed herewith.

7. List of enclosures:

(-----)

Signature of Appellant

VERIFICATION

I, -----son/wife/daughter of Shri-----being the Appellant do hereby that the contents of paragraph 1 to 7 are true to my own knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact.

(-----)

Signature of Appellant

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1806-571+200-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>